



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53875

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 8881 वर्ष 2026

प्रियांशु

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : पवन कुमार श्रीवास्तव

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 70

माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय

1. आवेदक की ओर से आज न्यायालय में प्रस्तुत पूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया गया।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री एस.एन. राय को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
3. यह जमानत आवेदन अभियुक्त-आवेदक प्रियांशु की ओर से थाना-हलधरपुर, जिला-मऊ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 356 वर्ष 2025, धारा 3(5), 115(2), 352, 351(2), 109 और 125 बी.एन.एस. के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
4. संक्षेप में, प्राथमिकी में निहित आरोप के अनुसार, आवेदक सहित छह अभियुक्तों ने कठोर और कुंद वस्तु (लाठी, डंडा और रॉड) तथा ईंट के टुकड़ों से घायल को चोटें पहुंचाई हैं, जिसके कारण इस घटना में घायल को गंभीर चोटें आई हैं।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अभियुक्त-आवेदक ने प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार कोई अपराध नहीं किया है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक 28.11.2025 से जेल में बंद है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि आवेदक प्राथमिकी में नामजद है, लेकिन न तो प्राथमिकी में और न ही घायल के बयान में घायल को चोट पहुँचाने के संबंध में आवेदक को कोई अलग और विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि घायल ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में सभी अभियुक्तों को सिर पर ईंट के टुकड़ों से चोट पहुँचाने के संबंध में सामान्य और साझा भूमिका सौंपी है, लेकिन उसने कहा है कि आवेदक, सह-अभियुक्त हिमांशु, प्रियांशु आपस में बात कर रहे थे कि घायल को जान से मार देना चाहिए और आवेदक को कोई अलग और विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। यह तर्क दिया गया है कि अभिलेख पर उपलब्ध चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार घायल को गंभीर चोटें/फ्रेक्चर आदि आए हैं, लेकिन आवेदक को कोई अलग भूमिका नहीं दी गई है। यह भी तर्क दिया गया कि समान भूमिका वाले सह-अभियुक्त हिमांशु और पीयूष को इस न्यायालय द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 2276 वर्ष 2026 और 7481 वर्ष 2026 में पारित आदेश दिनांक 12.02.2026 और 12.03.2026 के माध्यम से पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है और इस मामले में समानता की मांग की गई है। आगे यह तर्क दिया गया कि आवेदक का एक मामले का आपराधिक इतिहास है जिसे आवेदक की ओर से दाखिल पूरक शपथ पत्र के पैरा 2 में स्पष्ट किया गया है। तर्क यह है कि विचारण के पूरा होने में पर्याप्त समय लगेगा और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्याय के मार्ग से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः जमानत की प्रार्थना की गई है।

6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक ने सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर सभी के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए घायल बृजेश कुमार को गंभीर चोटें पहुंचाई हैं और उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्से (सिर) पर फ्रेक्चर भी पाए गए हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि विचारण से पूर्व के चरण में आवेदक की निर्दोषिता को अधिनिर्णीत नहीं किया जा सकता है, इसलिए वह किसी भी रियायत का पात्र नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि यदि आवेदक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह फिर से इसी तरह की गतिविधियों में लिप्त हो सकता है और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर सकता है।

7. पक्षकारों के उपरोक्त तर्कों और इस तथ्य पर विचार करते हुए कि यद्यपि आवेदक प्राथमिकी में नामजद है, लेकिन न तो प्राथमिकी में और न ही घायल के बयान में घायल को चोट पहुँचाने के संबंध में आवेदक को कोई अलग और विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है, घायल ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में सभी अभियुक्तों को सिर पर ईंट के टुकड़ों से चोट पहुँचाने के संबंध में सामान्य भूमिका सौंपी है, लेकिन उसने कहा है कि आवेदक और अन्य सह-अभियुक्त आपस में बात कर रहे थे कि घायल को मार देना चाहिए तथा आवेदक की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है, चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार घायल को गंभीर चोटें आई हैं लेकिन आवेदक को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है, समान भूमिका वाले सह-अभियुक्तों हिमांशु, पीयूष को पहले ही जमानत मिल चुकी है, आरोप पत्र 3.12.2025 को पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अभियोजन गवाहों को डराने या दबाव डालने की कोई उचित संभावना नहीं है, विचारण के समापन के संबंध में अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए; भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के व्यापक जनादेश, **मनीष सिसोदिया बनाम प्रवर्तन निदेशालय 2024 (एससी) लॉ सूट 677** के मामले में उच्चतम न्यायालय के पैराग्राफ संख्या 53, **भारत संघ बनाम के.ए. नजीब (2021) 3 एससीसी 713** और **सर्तेन्द्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो एवं अन्य (2022) 10 एससीसी 51** में उच्चतम न्यायालय के सिद्धांत पर विचार करते हुए और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- (i) आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा और न ही गवाहों को धमकाएगा।
- (ii) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों।
- (iii) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या संबंधित न्यायालय के निर्देशानुसार विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) अभियुक्त का बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा ताकि उसके विरुद्ध साक्ष्य में आने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट किया जा सके।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुरक्षित करने के लिए विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध कानून के अनुसार सख्ती से कार्यवाही शुरू करेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह विचारण न्यायालय द्वारा जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतियों की पहचान और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए।

17 मार्च, 2026

आरए

(माननीय न्यायमूर्ति संतोष राय)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।